182/10 लालाराम बालूराम बनाम सुरजसिंह

(38)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2010/00004)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
19.7.19	आज जिला / राजस्व बार ऐशो. द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया/अतः पत्रावली यथादेशानुसार दिनांक 22-8-19 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	
22.8.19	पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं.2 के अधिवक्ता उपस्थित । पत्रावली आज प्रत्यर्थी सं.1 व 5 की तलबी हेतु नियत है । प्रत्यर्थी सं.1 से 5 के रजिस्ट्रड ए.डी. नोटिस पेश करने हेतु समय चाहते है । प्रत्यर्थी सं.2 के अधिवक्ता को इस पर एतराज है और उनका कथन है कि पूर्व में नोटिस पेश करने हेतु अपीलार्थी के अभिभाषक के निवेदन पर उनको कई अवसर दिये जा चुके है किन्तु उनके द्वारा आज तक रजिस्ट्रड ए.डी. नोटिस पेश नहीं किये गये है । प्रकरण 2010 का है और 8 वर्ष से लम्बित चला आ रहा है । पत्रावली दिनांक 12.10.2011 से प्रत्यर्थी सं.1 व 5 के नोटिस पेश करने हेतु विचाराधीन चली आ रही है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा पिछले लगभग 7 वर्षो से नोटिस पेश नहीं किये गये है । अतः इन्हे और अवसर नहीं दिया जा सकता है । दिनांक 20.06.2019 की पेशी पर भी प्रत्यर्थी सं.2 के अभिभाषक द्वारा इसी बात पर एतराज व्यक्त किया गया था किन्तु फिर भी न्याय हक में अपीलार्थी के अभिभाषक को नोटिस पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर उन्हे हिदायत दी गई थी कि यदि उनके द्वारा आगामी पेशी से पूर्व नोटिस पेश नहीं किये गये तो प्रकरण अदम तकमील में खारीज कर दिया जावेगा । इसके उपरांत दो पेशियां निकल जाने के बावजूद भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्ती सं.1 व 5 की तलबी रजिस्ट्रड ए.डी .नोटिस प्रस्तुत नहीं किये है । इस स्थिति में प्रत्यर्थी सं.2 के अधिवक्ता का एतराज वाजिब है । अतः प्रकरण अदम तकमील में खारीज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

113/11 मुन्नालाल बनाम भंवरी

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2011/0025)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
11.7.19	अपीलांट के तामीलशुदा नोटिस प्राप्त होने के भी रेस्पो० प्रति० उप० । पत्र ... । पर, ... पेशी 22.8.19 को पेश हो संभागीय आयुक्त अजमेर	
22.8.19	पत्रावली आज पेश हुई । अपीलान्ट/अपीलांट अभिभाषक अनुपस्थित। दिनांक 03.012018 की पेशी पर प्रत्यर्थी स.1 के अभिभाषक द्वारा अवगत कराया गया था कि अपीलार्थी के अभिभाषक की मृत्यू हो चुकी है जिस पर अपीलार्थी को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.06.2018 को पेशी दिनांक 20.06.2018 के नोटिस जारी किये गये । नोटिस जरिये तहसीलदार नसीराबाद तामिल होकर बाद तामिल तहसीलदार के पत्रांक 845 दिनांक 19.06.2018 के सलंग्न पुनः प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है । बावजूद तामिल के अपीलार्थी अथवा उनकी ओर से उनके अधिवक्ता वगैरह कोई भी उपस्थित नहीं है । रेस्पो0 अभि0 अनुपस्थित । अपीलान्ट को आवाज दिलाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए । न्यायालय समय समाप्ति तक अपीलान्ट को बार बार अवाज दिलाई किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner